

ASO
25/8/17

प्रेषक,
भूपेन्द्र बहादुर सिंह,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ०प्र० लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक, 16 अगस्त 2017

विषय:- जनपद चित्रकूट में कबरई-इलाहाबाद मार्ग एन०एच०-35 पुराना एन०एच० 76 पर किमी० 105 से 106 के मध्य दायीं पटरी पर ग्राम कर्वीमाफी के गाटा सं० 951/1 तहसील कर्वी में खसरा सं०-272 पर भारत पेट्रोलियम कारपो० लि० द्वारा नये रिटेल आउटलेट की स्थापना के आवागमन मार्ग से प्रभावित 0.2542 हे० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-179/11-सी-एफपी/यूपी/अदर्स/17744/2016 दिनांक 27-07-2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में प्रस्ताव की मूल प्रति प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्ताव में रक्षित प्रमाण पत्रों में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट हेतु प्रभावित संरक्षित वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग के सम्बंध में कहीं पर मार्ग के दायी ओर कहीं पर मार्ग के बायी ओर प्रस्ताव में अंकित है जिसका निराकरण/ संशोधन अपेक्षित है।

कृपया तदनुसार मार्ग के किस ओर रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग हेतु वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग प्रस्तावित है प्रमाण पत्रों को संशोधित कर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-1 यथोपरि (प्रस्ताव 01 प्रती)

भवदीय




कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- 572 /11-सी- FP/UP/OTHERS/17744/2016, लखनऊ, दिनांक: अगस्त 29, 2017

प्रतिलिपि:- वन संरक्षक, चित्रकूटधाम, वृत्त बांदा को इस आशय से प्रेषित कि उ०प्र० शासन द्वारा उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण करके, सम्बन्धित अभिलेखों को प्रस्ताव में संलग्न कर, संशोधित प्रस्ताव की तीन प्रतियाँ इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- प्रभागीय वनाधिकारी, चित्रकूट को इस आशय से प्रेषित कि उ०प्र० शासन द्वारा उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण करके, सम्बन्धित अभिलेखों को प्रस्ताव में संलग्न कर, संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को वन संरक्षक के माध्यम से उपलब्ध कराने का कष्ट करें तथा प्रस्ताव की तीन मूल प्रतियाँ अपने किसी प्रतिनिधि के द्वारा इस कार्यालय से प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि:- टैरीटरी मैनेजर (रिटेल) बी०पी०सी०एल०, ग्राम-सरेसर, पो०-आलमपुर, सकलडीहा रोड, मुगलसराय, चन्दौली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(डा० प्रशान्त कुमार वर्मा)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ